बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

!!अधिसूचना!!

3/सी0एस0/एम0(मं0नि0)–02/2014 204/पटना–15, दिनांक 05/02/2019 बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006 की धारा–4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्तें) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :– (i) यह नियमावली बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्तें) (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।

(ii) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्तें) नियमावली, 2006 के नियम 5(क)–दैनिक भत्ता मे प्रयुक्त अंक, कोष्ठक एवं शब्द "2,000 (दो हजार)" अंक, कोष्ठक एवं शब्द "3,000 (तीन हजार)" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम 7 आवास की सुविधा की उप कंडिका (ड.) – मंत्री के आवासों की साज–सज्जा और अनुरक्षण पर खर्च, उस पैमाने और उस आर्थिक सीमाओं के भीतर होगा, जो राज्य सरकार संकल्प / अनुदेशों के द्वारा विहित करें, के उपरांत निम्न तालिका एवं कंडिका जोड़ी जाती है,

"

मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री	राजकीय आवंटित आवास में अनुरक्षण के अतिरिक्त फर्नीचर एवं उपस्करों इत्यादि हेतु निर्धारित मानक राशि
मंत्री	रूपये 6,00,000/–
राज्यमंत्री	रूपये 5,75,000/–
उपमंत्री	रूपये 5,50,000/–

विभागीय एवं आवासीय कार्यालयों के सुसज्जन की भांति ही माननीय मंत्री / राज्य मंत्री / उप मंत्री के राजकीय आवंटित आवासों में अनुरक्षण के अतिरिक्त फर्नीचर एवं उपस्करों इत्यादि पर व्यय भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के बजटीय उपबंध से किया जाएगा एवं इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की होगी। "

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/- 4/2/2019

(संजय कुमार)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:–3/सी0एस0/एम0 (मं0नि0)–02/2014 204/पटना–15, दिनांक–05/02/2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 4/2/2019

(संजय कुमार)

प्रधान सचिव

E:\KAMLESH\Sanleakh.doc

ज्ञापांकः–3/सी0एस0/एम0 (मं0नि0)–02/2014 ..../पटना–15, दिनांक–............,2019

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन/ मंत्रिपरिषद लेखा (पाँच प्रतियों में)/मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 4/2/2015
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3/सी0एस0/एम0 (मं0नि0)–02/2014 ..../पटना–15, दिनांक–............,2019

प्रतिलिपि :– अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को 5 (पाँच) प्रति सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/- 4/2/2015
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव

E:\KAMLESH\Sanleakh.doc